

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 16-21/2020/2/34/(2951)

भोपाल, दिनांक 22 SEP 2020

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

विषय — मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ — प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल का पत्र क्रमांक 6942 दिनांक 29.08.2020।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जानेवाली निम्नानुसार 10 समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	समूह जलप्रदाय योजना का नाम	जिला	लागत (रु. करोड़ में)
1	राजौंद	धार	109.50
2	मडिया	सागर	336.02
3	आगर मालवा	आगर	557.35
4	मडीखेड़ा	शिवपुरी	1096.96
5	गोपीकृष्ण सागर	गुना	461.98
6	राजघाट	गुना एवं अशोकनगर	1942.90
7	नेमावर (हाटपिपलिया)	देवास	237.00
8	गोंड देवसर	सिंगरौली	470.49
9	वैढन-1	सिंगरौली	637.27
10	वैढन-2	सिंगरौली	261.53
योग			6111.00

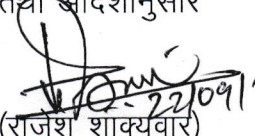
2/ योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के मापदण्डों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये, विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत डिजाईन/ड्राईंग तैयार कर करायी जाये तथा योजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत राशि तक सीमित रखा जाये।

3/ यह आदेश मंत्रि-परिषद निर्णय के आइटम क्रमांक-18 दिनांक 15, सितम्बर 2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।

4/ दिनांक 03.09.2020 को संपन्न परियोजना परीक्षण समिति की बैठक, तथा दिनांक 18.09.2020 को संपन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक, में उपरोक्त योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। बैठकों के कार्यवाही विवरण (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

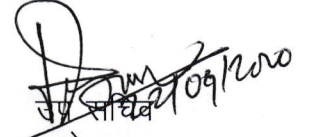

(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
5. सलाहकार, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र.....।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
8. संभाग आयुक्त, संभाग।
9. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागमण्डल.....।
10. कलेक्टर, जिला।
11. परियोजना निदेशक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,।
13. कोषालय अधिकारी, जिला।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग